आरक्षित

उत्तराखंड के उच्च न्यायालय, नैनीताल में

रिट याचिका (एस0एस0) संख्या 1289 / 2015

सुमन किशोर टम्टा पुत्र स्वर्गीय श्री बच्ची राम टम्टा
निवासी ग्राम हनेरा, डाकघर गंगोलीहाट,
जिला पिथौरागढ़ ..... याची

बनाम्

1. सचिव गृह, सिविल सचिवालय देहरादून के माध्यम से उत्तराखंड राज्य।

2. पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊँ रेंज, आई.जी. कार्यालय, तल्लीताल, नैनीताल।

3. मण्डलीय पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊँ रेंज, डीआइजी कार्यालय, मल्लीताल, नैनीताल।

4. पुलिस अधीक्षक, जनपद अल्मोडा, उत्तराखंड। .....प्रत्यर्थीगण

उपस्थितः—

श्री राजीव शर्मा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री पी.सी. बिष्ट, राज्य प्रतिवादियों के लिए स्थायी अधिवक्ता।

निर्णय

द्वाराः माननीय रवीन्द्र मैठाणी, जे.

याचिकाकर्ता ने उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उसे सेवा से हटा दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता का मामला है कि उसे 30.10.1998 को कांस्टेबल पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया था। 17.04.2013 को याचिकाकर्ता पूर्णागिरि मेले में ड्यूटी पर था। एक सब–इंस्पेक्टर को संदेह हुआ कि याचिकाकर्ता उस तारीख को नशे की हालत में था। याचिकाकर्ता को कोतवाली में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता को नशे के लिए मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया गया। 18.04.2013 को याचिकाकर्ता को मेला ड्यूटी से हटा दिया गया और पुलिस लाइन अल्मोडा में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। 29.04.2013 को याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ दो आरोप लगाए गए।

(i) दिनांक 17–04–2013 को ड्यूटी के दौरान शराब पीकर नशे में होना तथा पर्यटकों / यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना।

(ii) 18.04.2013 से 01–05–2013 तक बिना अधिकृत छुट्टी के पुनः कार्यभार ग्रहण करने तक बिना छुट्टी के अनुपस्थित।

3. याचिकाकर्ता का मामला है कि 18.04.2013 को मेला ड्यूटी छोड़ने के बाद वह बीमार पड़ गए, इसलिए 01.05.2013 को ही विभाग में शामिल हो सका। याचिकाकर्ता को 12.08.2013 को आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसका उन्होंने जवाब दिया। विभागीय जांच की गई और जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.10.2013 द्वारा याचिकाकर्ता को 17.04.2014 को ड्यूटी के दौरान नशे का दोषी पाया और 18.04.2013 से 01.05.2013 तक बिना छुट्टी के अनुपस्थित भी पाया।

4. इसके बाद याचिकाकर्ता को 18.11.2013 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस आदेश को याचिकाकर्ता और विभागीय अपील द्वारा चुनौती दी गई, जिसे 15.03.2014 को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को दोबारा पुनरीक्षण में चुनौती दी, जिसे 09.10.2014 को खारिज कर दिया गया।

5. सेवा से उसकी बर्खास्तगी और उन आदेशों से क्षुब्ध होकर, जिनके द्वारा उसकी अपील और पुनरीक्षण खारिज कर दिया गया था, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (एस0एस0) संख्या 267/2015 (''पहली याचिका'') के साथ एक रिट याचिका दायर की। पहली याचिका में, याचिकाकर्ता ने मुद्दा उठाया कि सजा उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, 2007 (संक्षेप में, "अधिनियम") का उल्लंघन है। विशेष रूप से, इसकी धारा 85 (एच) का संदर्भ दिया गया था, जहां ऐसे कृत्यों के लिए अधिकतम सजा जुर्माना है, जिसे तीन महीने के वेतन के बराबर राशि तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास की सजा हो सकती है, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों।

6. न्यायालय ने याचिकाकर्ता को पहली याचिका में उठाए गए सभी बिंदुओं को बताते हुए नई अपील दायर करने की छूट के साथ पहली याचिका का निपटारा कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने फिर से अपील दायर की लेकिन इसे 23.06.2015 को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 18.11.2013 को उसकी सेवा समाप्त करने के आदेश, अपील में पारित आदेश दिनांक 15.03.2014, पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 09.10.2014 एवं प्रथम याचिका के निस्तारण के बाद पारित आदेश दिनांक 23.06. 2015 पर आपत्ति जताई है।

7. राज्य ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है. तथ्यात्मक स्थिति पर अधिक विवाद नहीं है। उत्तरदाताओं के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ रैंक (दंड और अपील) नियम, 1991 (संक्षेप में, " दण्ड नियम, 1991") के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और रिकार्ड का अवलोकन किया।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना था कि अधिनियम की धारा 85 के तहत, याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से किए गए कृत्यों के लिए अधिकतम सजा जुर्माना या तीन महीने तक कारावास या दोनों है, लेकिन इसके तहत सेवा से बर्खास्तगी का प्रावधान नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि अल्मोड़ा में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए जाने के बाद, याचिकाकर्ता बीमार पड़ गया और वह 01. 05.2013 को अपनी ड्यूटी फिर से शुरू कर सका। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि दी गई सजा अनुपातहीन है।

10. अपने दावे के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने श्री भगवान लाल आर्य बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली और अन्य, (2004) 4 एससीसी560 के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांतों पर भरोसा किया।

11. भगवान लाल आर्य (उपरोक्त) के मामले में, एक पुलिस कांस्टेबल सरकारी डॉक्टरों से उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ चिकित्सा आधार पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा। उन तथ्यों पर विचार करने के बाद, उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **''कोई भी उचित अनुशासनात्मक प्राधिकारी सरकारी डॉक्टरों से उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ चिकित्सा आधार पर अनुपस्थिति को गंभीर कदाचार नहीं मानेगी..... इस मामले में अर्ध न्यायिक अधिकारियों के द्वारा दिमाग का उपयोग न करना देखा जा सकता है। यह तथ्य कि उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ता से पुनः चिकित्सा के लिए कहा है, यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि उन्हें चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ अपीलकर्ता का आवेदन प्राप्त हुआ था। इसे कभी भी जानबूझकर व सक्षम प्राधिकारी को कोई जानकारी दिए बिना अनुपस्थिति नहीं कहा जा सकता तथा इसे कभी भी गंभीर कदाचार नहीं कहा जा सकता''।**

12. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता का कहना था कि विभागीय कार्यवाही नियमों के अनुसार की गई थी। याचिकाकर्ता को सभी आरोपों का दोषी पाया गया था। याचिकाकर्ता का अतीत में खराब सेवा रिकॉर्ड था। कर्तव्य, कार्य और आचरण से अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें वर्ष 2010 और 2011 में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई थी। साल 2013 में भी उनका काम और आचरण खराब था. वर्ष 2013 में उन्हें वेतनमान घ ाटाकर न्यूनतम करने की सजा दी गई। साल 2007 में उन्होंने पुलिस ऑर्केस्ट्रा टीम से साउंड सिस्टम चुरा लिया था, इसलिए उनकी निंदा की गई थी. वर्ष 2011 में विभिन्न अवसरों पर वे अनुपस्थित रहे। इसलिए, उनके वेतन में कटौती की गई और कई अन्य अवसरों पर उन पर मामूली जुर्माना लगाया गया। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सजा को अनुपातहीन नहीं कहा जा सकता है।

13. जिस प्रश्न के निर्धारण की आवश्यकता है वह यह है कि क्या इस मामले में अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे या दंड नियम, 1991 के प्रावधान लागू होंगे।

14. उत्तराखंड पुलिस अधिनियम वर्ष 2007 में अधिनियमित किया गया था। यह भारतीय पुलिस अधिनियम, 1961 की धारा 86 के आधार पर उत्तराखंड राज्य पर लागू होने पर इसे निरस्त कर देता है। लेकिन, इसकी धारा 86 (2) बचत के संबंध में प्रावधान करती है, जो इस प्रकार हैः–

> "86. निरसन और बचत
>
> (1).....
>
> (2) उप–धारा (1) के तहत निरसन इस प्रकार निरस्त किए गए अधिनियमों के पिछले संचालन और पहले की गई किसी भी बात या की गई कार्रवाई या की गई समझी जाने वाली कार्रवाई (किसी भी नियुक्ति या प्रतिनिधिमंडल या अधिसूचना, आदेश सहित) को प्रभावित नहीं करेगा। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियम या विनियम, जहां तक यह इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत बनाए गए माने जाएंगे, और तब तक लागू रहेंगे जब तक और जब तक अधिनियम के तहत किए गए किसी भी कार्य या कार्रवाई से इसे हटा नहीं दिया जाता।''

15. अधिनियम की धारा 86 की उपरोक्त उपधारा (2) यह विनिर्दिष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 के प्रावधानों के तहत बनाए गए कोई भी नियम या विनियम, जहां तक यह असंगत नहीं हैं, वहां तक वे उक्त अधिनियम के सम्बन्धित प्रावधानों के अधीन बनाए गए माने जाएंगें तथा लागू रहेंगे।

16. दंड नियम, 1991 भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 के प्रावधानों के तहत बनाए गए थे। दंड नियम, 1991 अधीनस्थ रैंक के पुलिस अधिकारियों की विभागीय कार्यवाही, दंड और अपील को विनियमित करने की दृष्टि से बनाए गए थे। इसके नियम 4 में सजा का प्रावधान है, जो इस प्रकार हैः–

> **"4. सजा.–** (1) निम्नलिखित दंड, अच्छे और पर्याप्त कारणों से और जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है, एक पुलिस अधिकारी पर लगाया जा सकता है, अर्थात–
>
> (ए) प्रमुख दंड–
>
> (i) सेवा से बर्खास्तगी।
>
> (iii) सेवा से हटाया जाना।
>
> (iii) रैंक में कमी जिसमें निचले स्तर पर या समयमान में निचले स्तर पर कमी शामिल है।
>
> (बी) मामूली दंड–
>
> (i) पदोन्नति रोकना।
>
> (ii) जुर्माना जो एक महीने के वेतन से अधिक नहीं होगा।
>
> (iii) वेतन वृद्धि रोकना, जिसमें दक्षता सीमा पर रुकना भी शामिल है।
>
> (iv) निंदा।
>
> (2) उपनियम (1) में उल्लिखित दंडों के अलावा हेड कांस्टेबलों और कांस्टेबलों को निम्नलिखित दंड भी दिए जा सकते हैं–
>
> (i) क्वार्टरों में कारावास (इस अवधि में क्वार्टर गार्ड में पंद्रह दिनों से अधिक की अतिरिक्त गार्ड या अन्य ड्यूटी के लिए कारावास शामिल है)।
>
> (ii) सजा ड्रिल जो पंद्रह दिन से अधिक नहीं।
>
> (iii) अतिरिक्त, गार्ड ड्यूटी जो सात दिनों से अधिक नहीं।

(iv) अच्छे आचरण के वेतन से वंचित होना।

(3) उप–नियम (1) और (2) में उल्लिखित दंडों के अलावा कांस्टेबलों को थकान ड्यूटी से भी दंडित किया जा सकता है, जो निम्नलिखित कार्यों तक सीमित होगाः

(i) तंबू लगानाः

(ii) नाली खुदाईः

(iii) घास काटना, जंगल की सफाई करना और परेड मैदान से पत्थर चुननाः

(iv) झोपड़ियों और बटों की मरम्मत और लाइनों में समान कार्यः

(v) हथियारों की सफाई।"

17. नियम 5 में सजा देने की प्रक्रिया, नियम 6 में जांच के स्थान के बारे में, नियम 7 में सजा की शक्तियां, नियम 8 में बर्खास्तगी और निष्कासन के बारे में प्रावधान है और अन्य नियम भी हैं जो विभागीय कार्यवाही के संचालन की प्रक्रिया को विनियमित करते हैं।

18. अधिनियम की धारा 85, पुलिस अधिकारी आदि द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान करती है। यह इस प्रकार हैः –

"85. पुलिस अधिकारी द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड आदि।

प्रत्येक पुलिस अधिकारी–

(ए) जो किसी कर्तव्य के उल्लंघन या जानबूझकर उल्लंघन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी नियम या कानूनी आदेश के विनियमन की उपेक्षा का दोषी है अथवा

(बी) जो बिना अनुमति के या पूर्व सूचना दिए बिना अपने कार्यालय के कर्तव्यों से हट गया है या

(सी) जो छुट्टी पर अनुपस्थित होने के कारण, उचित कारण के बिना, ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर खुद को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने में विफल रहा है या

(डी) जिसने खुद को, बिना अधिकार के, अपनी पुलिस ड्यूटी के अलावा किसी अन्य रोजगार में लगा लिया है या

(ई) जो कायरता का दोषी पाया गया है या

(च) जो अपनी हिरासत में किसी व्यक्ति पर कोई अनुचित व्यक्तिगत हिंसा करते हुए पाया गया है या

(छ) जो, कानूनी कारणों के बिना, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहता है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 द्वारा अपेक्षित है या

(ज) जो ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में पाया गया हो या

(झ) जो किसी ऐसे अन्य तरीके से कार्य करता है, जो पुलिस अधिकारी के लिए अनुचित है जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो तीन महीने के वेतन के बराबर राशि तक बढ़ाया जा सकता है, या किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(जे) (i) इस धारा के तहत कोई भी कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा शुरू की जाएगी।

(ii) इस धारा के तहत शुरू की गई कानूनी कार्यवाही का निष्कर्ष संबंधित पुलिस कर्मियों के व्यक्तिगत सेवा रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।

19. अधिनियम की धारा 85 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कारावास की सजा का प्रावधान है। जब कारावास की बात आती है, तो निश्चित रूप से यह सक्षम क्षेत्राधिकार वाले आपराधिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (जे) यह स्पष्ट करती है कि उस धारा के तहत कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा शुरू की जा सकती है। इसमें यह भी प्रावधान है कि धारा 85 के तहत शुरू की गई कानूनी कार्यवाही के निष्कर्षों को संबंधित पुलिस कर्मियों के व्यक्तिगत सेवा रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। यह आगे यह स्पष्ट करता है कि अधिनियम की धारा 85 के तहत कार्यवाही, सक्षम क्षेत्राधिकार वाले आपराधिक न्यायालय के समक्ष की जानी है।

20. वर्तमान मामले में, विभाग ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 85 के तहत कार्रवाई नहीं की। क्या इससे विभागीय कार्यवाही प्रभावित होगी?

21. जैसा कि यहां पहले कहा गया है, भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत बनाए गए विनियम तब तक लागू रहेंगे जब तक कि वे अधिनियम के प्रावधान के साथ असंगत न हों।

22. दण्ड नियम 1991 भारत पुलिस अधिनियम, 1861 के अंतर्गत बनाये गये थे। ये विभागीय कार्यवाही को विनियमित करते हैं। अधिनियम की धारा 85 विभागीय कार्यवाही नहीं है। यह उपेक्षा आदि कृत्यों के लिए एक आपराधिक मुकदमा है। जबकि, सजा नियम 1991 विभागीय कार्यवाही को नियंत्रित करता है और बड़ी और छोटी सजाओं का प्रावधान करता है। अधिनियम के प्रावधान और सजा नियम, 1991 दोनों अलग–अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। वे एक व एक समान नहीं हैं।

23. यदि दंड नियम, 1991 के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू की जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 85 के प्रावधानों के मद्देनजर उसके तहत प्रदान की गई सजा नहीं दी जा सकती है। जैसा कि कहा गया है, अधिनियम की धारा 85 के प्रावधान अलग हैं। वे पुलिस अधिकारी के कृत्य को आपराधिक बनाते हैं क्योंकि इसमें कारावास का भी प्रावधान है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि अधिनियम की धारा 85 के तहत सजा या जुर्माना या कारावास का प्रावधान है, इसलिए सजा नियम, 1991 के तहत विभागीय कार्यवाही में सेवा से हटाने की सजा का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में दिए गए तर्क में कोई दम नहीं है. विभाग सजा नियम, 1991 के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू कर सकता है और इस मामले में यही किया गया है।

24. प्रक्रिया के संबंध में कोई तर्क नहीं उठाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि सजा अत्यधिक और अनुपातहीन है। दंड की आनुपातिकता निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा में देखी जा सकती है, जैसा कि मौजूदा मामले में है।

25. कानून के सिद्धांत, जैसा कि श्री भगवान लाल आर्य (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित किया गया था, वर्तमान मामले में लागू नहीं होता हैं, क्योंकि उस मामले में पुलिस अधिकारी सरकारी चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल करने के बाद चिकित्सा आधार पर अनुपस्थित था। जबकिवर्तमान मामले. में ऐसा नहीं है। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि 17.04.2013 को उसे पुलिस लाइन अल्मोडा में रिपोर्ट करने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन वह बीमार पड़ गया। इसलिए, वह 01.05.2013 को अल्मोडा में अपनी ड्यूटी पर फिर से शामिल हो सका। लेकिन, रिट याचिका में यह दावा और यह तर्क दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट रूप से गलत है, जो याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं दायर किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि जब उन्हें आरोप पत्र दिया गया, तो उन्होंने इसका उत्तर प्रस्तुत किया, जो कि 12.08.2013 का परिशिष्ट 6 है और इसके पैरा 2 में, याचिकाकर्ता ने कहा है कि 19.04.2013 को उन्होंने मेला ड्यूटी से शुरुआत की थी और 20.04.2013 को अल्मोडा पहुंचे, लेकिन उन्हें अल्मोडा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने आरोप पत्र के जवाब में यह नहीं कहा है कि वह बीमार था, इसलिए, उसने 01.05. 2013 को कार्यभार फिर से शुरू कर दिया। तत्काल याचिका में बीमारी का जो आधार लिया गया था, उसे आरोप पत्र के जवाब में याचिका द्वारा कभी नहीं लिया गया था जो उसे दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से गलत स्पष्टीकरण देने की कोशिश की गई। मामले की जांच की गई और याचिकाकर्ता को मेला ड्यूटी के दौरान नशा करने का दोषी पाया गया और बिना किसी अधिकार के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का भी दोषी पाया गया।

26. तमिलनाडु सरकार आदि बनाम. एस. वेल राज, (1997) 2 एससीसी708, के मामले में एक पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी पर था, लेकिन वह नशे में था और ''मुफ्ती'' में था। एक जांच की गई तो यह साबित हो गया कि ऐसा पुलिस अधिकारी नशे की हालत में था और उस समय ''मुफ्ती'' था। उन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, **''पुलिस बल को एक**

अनुशासित बल होना चाहिए और पुलिस बल के सदस्य को अनुशासित तरीके से व्यवहार करना होगा, खासकर जब वह ड्यूटी पर हो। भले ही प्रतिवादी को आधिकारिक काम के लिए भेजा गया था और वह ड्यूटी पर था, फिर भी वह ''मुफ्ती'' में और ''अरक'' खाने के बाद नशे की हालत में पुलिस स्टेशन लौटा। वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन लौटा था कि जो काम उसे सौंपा गया था उसका क्या हुआ। इन परिस्थितियों में उसके व्यवहार को घोर कदाचार का कार्य माना जाना चाहिए। यह समझना कठिन है कि न्यायाधिकरण खुद को विपरीत दृष्टिकोण अपनाने के लिए कैसे मना सकता है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करना संभव नहीं है।' कहो कि उस पर जो सजा दी गई वह बहुत अधिक थी। अपीलीय प्राधिकारी ने उनके पिछले रिकॉर्ड पर विचार करने और प्रस्तावित वृद्धि के खिलाफ कारण बताने का अवसर देने के बाद सजा का आदेश पारित किया था। हालांकि ट्रिब्यूनल ने माना है कि नियमों के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई थी, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि नियम की किस आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया था। इसलिए, ट्रिब्यूनल इस मामले में भी गलत था। परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

27. कर्नाटक राज्य आदि बनाम एच. नागराज, (1998) 9 एस0सी0सी0 671 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम जी. गणयुथम, (1997) 7 एस0सी0सी0 463, के मामले में पारित फैसले का उल्लेख किया। जिसमें यह माना गया था कि ''सजा के संबंध में आनुपातिकता का सिद्धांत केवल उस मामले में लागू किया जा सकता है जहां सजा इस अर्थ में पूरी तरह से तर्कहीन होकि उक्त सजा तर्क के या नैतिक मानक की अपमानजनक अवज्ञा थी।

28. आम तौर पर, ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि निस्संदेह कोई सजा पूरी तरह से तर्कहीन, तर्क या नैतिक मानकों की अपमानजनक अवहेलना न हो। याचिकाकर्ता पुलिस कांस्टेबल था। उन्हें मेला ड्यूटी में तैनात किया गया था। वहां वह नशे की हालत में मिला। उन्हें 17.04. 2013 को वापस पुलिस लाइन अल्मोडा में रिपोर्ट करना था, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के 01.05. 2013 को वहां ज्वाइन किया। बीमारी का आधार, जिसे याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका में लेने की कोशिश की है, गलत है क्योंकि यह आधार याचिकाकर्ता द्वारा आरोप पत्र के जवाब में कभी नहीं लिया गया था जो कि रिट याचिका का संलग्नक 6 है। इसके बजाय, आरोप पत्र के जवाब में उन्होंने कहा है कि 20.04.2013 को वह अल्मोड़ा पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी।

29. बहस के दौरान राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि पूर्व में भी विभिन्न अवसरों पर याचिकाकर्ता को चेतावनी दी गई थी और विभागीय रूप से दंडित किया गया था। पुलिस का कर्तव्य निश्चित रूप से अनुशासित नौकरी करना है। याचिकाकर्ता द्वारा जिस तरह का कृत्य किया जाना पाया गया, वह निश्चित रूप से एक पुलिस कांस्टेबल के लिए घोर कदाचार है।

30. इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ता को दी गई सजा अनुपातहीन नहीं है। इस रिट याचिका में कोई बल नहीं है और यह खारिज किये जाने योग्य है।

31. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(रवींद्र मैठाणी, जे.)

04.05.2021

जितेंद्र